उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या– / VIII-1 / 21–91(श्रम) / 2008–टीसी–II(2)
देहरादून : दिनांक 25, मई, 2021

अधिसूचना

श्रमायुक्त की संस्तुति एवं प्रस्ताव पर वैश्विक महामारी कोविड–19 (कोरोना वायरस) के दृष्टिगत संक्रमण अधिकता के कारण लागू आवश्यक वस्तुओं (Essential Commodities) अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों तथा दवा निर्माताओं से संबंधित कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों को अतिकाल (Over time) कार्य करने हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–05 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए Public emergency के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कारखानों को उक्त अधिनियम की धारा– 51, 54, 55 तथा 56 में निम्नवत शर्तों के अधीन शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है–

1. उपरोक्त वर्णित समस्त उद्योगों में उत्पादन इकाई हेतु प्रतिदिन 12–12 घण्टे की दो पालियों में कार्य किया जा सकेगा। जिसमें 04 घण्टे प्रतिदिन ओवरटाईम के होंगे, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जायेगा;
2. इन दोनों पालियों में कार्य करने वाले श्रमिक सप्ताह में अधिकतम 06 दिवस कार्य करेंगे और ओवरटाईम की सीमा प्रति सप्ताह 24 घण्टे होगी;
3. अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में काम का विस्तार इस तरह से निर्धारित होगा कि प्रत्येक कर्मकार को 6 घण्टे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य रूप से दिया जायेगा;
4. अतिकाल की शिथिलता का प्रयोग करने के निमित्त किसी भी नियोक्ता द्वारा छंटनी नहीं की जायेगी।
5. श्रमायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त आपात प्रावधान का प्रयोग किसी भी फैक्ट्री द्वारा निरंतरता में नियमित व्यवस्था की भांति न किया जाय।
6. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 60 दिन तक प्रभावी रहेगी। तत्पश्चात स्वतः निष्प्रभावी होगी।

(डा0 हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्याः–551 (1) / VIII-1 / 21–91(श्रम) / 2008–टीसी–II(2) तद्दिनांक

प्रतिलिपिः **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव प्रभारी, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रशान्त आर्य)
अपर सचिव।

UO Labour P.B